

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
भूमि एवं विकास कार्यालय  
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. एफ-24024/1/09/सीडीएन/178

दिनांक 3/6/2009

कार्यालय आदेश सं. 7/09

विषय: लीज डीड/कन्वेंस डीड की पुनः वैद्यता

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 3/12/2002 के कार्यालय आदेश सं. 12/2002 के क्रम में यह पुनः दोहराया जाता है कि यदि जारी होने के 4 माह के भीतर उप पंजीयक कार्यालय में पट्टा विलेख/कन्वेंस डीड पंजीकृत नहीं करवाई जाती है तो पुनः वैद्यता की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नवीन पट्टा विलेख/कन्वेंस डीड केवल पूर्व में निष्पादित पट्टा विलेख/कन्वेंस डीड को निरस्त करवाने के उपरांत ही निष्पादित की जाएगी।



(सुरेंद्र सिंह)

उप भूमि एवं विकास अधिकारी

वितरण:-

1. सभी अधिकारी
2. सभी अनुभाग
3. गार्ड फाइल
4. एनआईसी को भूमि एवं विकास कार्यालय की वेबसाइट पर डालने हेतु